रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05112024-258451 CG-DL-E-05112024-258451

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4410]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 4, 2024/कार्तिक 13, 1946

No. 4410]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 4, 2024/KARTIKA 13, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4791(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2333 (ई), दिनांक 08 जुलाई 2016 द्वारा केंद्र सरकार ने कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (पुराना राजमार्ग – 48) के बंगलूर से मैंगलोर तक के खंड के लिए किमी 189.5 से किमी 237.00 तक तथा किमी 263.00 से किमी 328.00 तक का खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सौंपा है:

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, (जिसे इसके पश्चात "नियम" कहा जाए), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा कर्नाटक राज्य में चार लेन वाले खंड के उपयोग के लिए निवल सड़क खंड लंबाई 36.88 किमी (सारणी -2) और समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के लिए 2.180 किमी (0.218 किमी लंबाई वाली: सारणी -4) एवं नीचे तालिका 1 के कॉलम (1) में निर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर एनएच -75 के हसन-मरनहल्ली खंड के डिजाइन चेनेज किमी 184+912 से किमी 230+060 तक (मौजूदा चेनेज किमी 189+700 - किमी 237+000) दस करोड़ रुपये या उससे अधिक की लागत वाले 8.05 किमी (सारणी-3) की लंबाई वाले बाईपास के लिए आधार दर का डेढ़ गुना तालिका 1 के कॉलम (2) में निर्दिष्ट दर पर यांत्रिक वाहनों पर शुल्क लगाता है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क एकत्र करने के लिए अधिकृत करता है, निम्नानुसार:-

7144 GI/2024 (1)

सारणी-1			
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)		
(1)	(2)		
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65		
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05		
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20		
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40		
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूर्विंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45		
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20		

1. चे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लंबाई हेतु शोध्य और संदेय होगा, अर्थात;

	सारणी -2				
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	लंबाई (कि.मी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है			
		चार या अधिक लेन के लिए उपरोक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों के 100% दर पर			

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क देय होगा, जो ऐसे निवल प्लाजा के लिए निर्दिष्ट शुद्ध बाईपास लंबाई के लिए होगा:

	सारणी-3					
शुल्क प्लाज़ा का अवस्थान (चेनेज)	बाइपास का नाम	पर आरंभ होते हुए	पर मिलते हुए	बाइपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
कर्नाटक राज्य के हासन जिले के चौलागेरे	पल्या	कि.मी. 198+720	कि.मी. 199+940	1.22	12 51	चार या अधिक लेन के लिए
गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग -75 के किमी 193+020 (मौजूदा किमी 197+900) पर	बल्लुपेटे	कि.मी. 205+850	कि.मी. 207+400	1.55	19.26	जपरोक्त सारणी - 1 में उल्लिखित आधार दरों के
	सक्लेश्पुर	कि.मी.	कि.मी.			150% दर पर
		214+570	220+000	5.28	102.37	
बाईपास की कुल लंबाई (संरचना की लंबाई को छोड़कर > 60 मीटर)				8.05		_

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बुनियादी ढांचों, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी बुनियादी ढांचों की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शल्क भी देय और भगतान योग्य होगाः

सारणी-4			
	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचे की लम्बाई (कि.मी. में)		
कर्नाटक के हासन जिले में चौलागेरे गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग -75 के किमी 193+020 (मौजूदा किमी 197+900) पर	0.218	2.180	उपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों के चार या अधिक लेन के लिए 100%

* ब्यौरा निम्नानुसार है:

,,,,,,	चैनेज		ढांचे का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	कि. मी से	कि मी तक		
1	187+370	187+438	बड़ा पुल यागाची	0.068
2	218+385	218+535	बड़ा पुल हेमावती	0.150
	कुल संरचना की लंबाई जो 60 मीटर से अधिक है			0.218

- 4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2024-25 के लिए मासिक पास की दर 340.00/- रूपए (तीन सौ चालीस रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।
- 5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्ः

सारणी-5

देय राशि	अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैद्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

- 6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परिमट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
- 7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के नियम 10 के उप नियम 1ए में उल्लिखित शुल्क के बराबर

शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

- 8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस सडक, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में उल्लिखित परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
- 9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
- 10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रित किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तिवक शुल्क और कटौतियों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
- 11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1021.57 करोड़ रुपए है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. एनएचएआई/पीआईयू-एचएसएन/एचएसएन-एमआरएन/टोल नोटिफिकेशन/ई-238206] कमलेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2024

S.O. 4791(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways S.O.2333 (E), dated 08.07.2016 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 189.5 to km 237.00 and from km 263.00 to km 328.00 for section from Bangalore to Mangalore of NH-75 (old NH-48) in the State of Karnataka to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, and subsequent amendments (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 36.88 km (Table-2) and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 2.180 km (having length of 0.218 km, Table-4) and at one and half times the base rate for bypasses having length of 8.05 km (Table-3) costing Rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of Table 1 below for use of four lane of the Hassan-Maranahally Section of NH-75 from Design Chainage Km. 184+912 to Km. 230+060 (Existing Chainage Km. 189+700 – Km. 237+000) in the State of Karnataka and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, as under:-

Table 1			
Type of Vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007- 08 (in Rupees) & 2011		
(1)	(2)		
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65		
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05		
Bus or Truck (Two axles)	2.20		
Three-Axle Commercial vehicles	2.40		
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (Four to Six axles)	3.45		
Oversized Vehicles (Seven or more axles)	4.20		

1. The fee to be levied and collected here under shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:-

Table-2			
Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable	
At Km. 193+020 (Existing Km. 197+900) of NH-75 near Chowlagere Village in Hassan District of Karnataka	36.88 [excluding length of Bypass (costing > 10 Cr.) and length of Structures (>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above	

2. In addition to above, the following fee shall be due and payable for the use of the bypass costing Rs. 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s):

Table-3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in km)	Cost (in Rs. Crore)	
At Km. 193+020 (Existing Km.	Palya	Km. 198+720	Km. 199+940	1.22	12.51	150% for four or more lane, of the base
197+900) of NH-75 near Chowlagere Village in Hassan District of Karnataka	Ballupete	Km. 205+850	Km. 207+400	1.55	19.26	rates mentioned in
	Sakleshpura	Km. 214+570	Km. 220+000	5.28	102.37	Table-1 above
Total length of Bypass (exc	luding the leng	th of Struct	ure >60m)	8.05		

3. In additional to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plazas, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table-4				
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable	
At Km. 193+020 (Existing Km. 197+900) of NH-75 near Chowlagere Village in Hassan District of Karnataka	0.218	2.180	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above	

* The details are as under:

	Chainage			Length (in km)
	From Km	То Кт	Type of Structure	
1	187+370	187+438	Major Bridge Yagachi	0.068
2	218+385	218+535	Major Bridge Hemavathi	0.150
	Total S	0.218		

- 4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purpose and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 340/- (Rupees Three Hundred and Forty only) for the year 2024-2025 and is subject to revision every year as per the provisions of said Fee Rules.
- 5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5				
Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity		
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment		
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from the date of payment		

- 6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
- 7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
- 8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc., shall be as per definitions specified in the said rules.
- 9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.
- 10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-2008 as mentioned in Table 1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.
- 11. The estimated capital cost of the project is Rupees 1021.57 Crores. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc., are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. NHAI/PIU-HSN/HSN-MRN/TollNotification/E-238206]

KAMLESH CHATURVEDI, Jt. Secy.